



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 757]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 29, 2016/चैत्र 9, 1938

No. 757]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 29, 2016/CHAITRA 9, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2016

**का.आ. 1228 (अ).**—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 143 की उपधारा (11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के परंतुक के अधीन गठित समिति से परामर्श करके, का.आ. संख्या 990(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2015 को अधिकांत करते हुए, सिवाय उन बातों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया या करने से लोप किया गया है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ.**—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 है।
- (2) यह प्रत्येक कंपनी जिसमें विदेशी कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड 42 (2013 का 18) के अंतर्गत परिभाषित है शामिल है (इसके पश्चात् कंपनी अधिनियम कहा गया है) लागू होगा।
- (i) एक बैंकारी कंपनी जैसा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 खंड ग में यथा परिभाषित है।
- (ii) एक बीमा कंपनी जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) में यथा परिभाषित है।
- (iii) कंपनी जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत परिचालन का अनुज्ञापत्र दिया गया है।
- (iv) एकल व्यक्ति कंपनी जो कंपनी अधिनियम की धारा खंड 62 में और लघु कंपनी जो कंपनी अधिनियम की धारा 2 में खंड 85 के अंतर्गत यथापरिभाषित है और
- (v) एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो पब्लिक कंपनी की अनुषंगी या नियंत्रिणी कंपनी नहीं है जिसकी तुलनपत्र तारीख को प्रदत्त पूंजी और निधियां और अधिक्य एक करोड़ से अधिक नहीं है जिसके किसी बैंक या वित्तीय संस्थाओं में वित्त वर्ष के किसी समय पर कुल उधार 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और उसका कुल राजस्व जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 में बताया गया है (छोड़ गए कार्यचालन से प्राप्त राजस्व भी शामिल) वित्तीय विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

**2. लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में पैरा 3 और पैरा 4 में अंतर्विष्ट मामले शामिल होंगे.** - लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी के लेखों जिसकी लेखापरीक्षा उसके द्वारा की जाती है जिस पर यह आदेश वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल, 2015 से या इसके बाद लागू होता है की रिपोर्ट तैयार की जाती है पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों के अतिरिक्त जैसा लागू हो अंतर्विष्ट होंगे:

परंतु यह आदेश लेखापरीक्षक की समेकित वित्तीय कथनों पर लागू नहीं होगा।

**3. लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले मामले.** - कंपनी के लेखों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जिस पर यह आदेश लागू है में निम्नलिखित मामले पर एक कथन शामिल होगा यथा

(i) (क) क्या कंपनी उचित अभिलेखों का संधारण कर रही है जिसमें पूर्ण विशिष्टियां जिसमें नियत आस्तियों का परिणात्मक विवरण एवं स्थिति शामिल हैं दर्शाया गया हो।

(ख) क्या इन नियत आस्तियों का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा पर्याप्त अंतराल में किया गया, क्या ऐसे सत्यापन में कोई सारवान असंगतता देखी गई, यदि हां, क्या उनका लेखाबहियों में उचित तरीके से निबटान किया गया।

(ग) क्या स्थावर संपत्तियों के हक विलेख कंपनी के नाम रखे गए हैं यदि नहीं तो तत्संबंधी ब्यौरे उपलब्ध करावें।

(ii) क्या मालसूची का भौतिक सत्यापन पर्याप्त अंतराल पर प्रबंधन द्वारा किया गया और क्या कोई सारवान असंगतता देखी गई, यदि हां तो क्या उनका लेखाबहियों में युक्तियुक्त तरीके से बर्ताव किया गया।

(iii) क्या कंपनी ने किसी कंपनी, फर्मों, सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य पक्षकारों को जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अधिन रजिस्टर में शामिल होते हैं, को कोई सुरक्षित या असुरक्षित उधार दिया है।

(क) क्या ऐसे उधार के आवेदन की निबंधन और शर्तें कंपनी के हित के विरुद्ध हैं।

(ख) क्या मूल की प्रतिसंदाय और ब्याज के भुगतान की अनुसूची की अनुबद्ध लगाई गई थी और क्या पुनर्भुगतानियां अथवा प्राप्तियां नियमित हैं;

(ग) यदि राशि लंबे समय से अतिशोध्य है तो कुल राशि जो नब्बे दिन से अतिशोध्य है, का विवरण दें, क्या कंपनी द्वारा मूल एवं ब्याज की वसूली के लिए युक्तियुक्त कदम उठाए गए हैं;

(iv) उधार, विविधान, प्रत्याभूतियां और सुरक्षा के संबंध में क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के उपबंधों का पालन किया गया, यदि नहीं तो तत्संबंधी ब्यौरे दें।

(v) यदि कंपनी ने निक्षेप स्वीकार की है, क्या भारतीय रिजर्व बैंक और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 तक के उपाबंध या अन्य सुसंगत उपाबंधों के अंतर्गत जारी निदेशों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, जहां लागू हो का पालन किया गया यदि नहीं तो ऐसे उल्लंघनों की प्रकृति का कथन करें। यदि कंपनी विधि बोर्ड या राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी न्यायालय या अन्य किसी अधिकरण ने कोई आदेश पारित किया है, क्या उसका अनुपालन किया गया है या नहीं?

(vi) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा 1 के अधीन केंद्रीय सरकार ने लागत अभिलेखों के अनुरक्षण को विनिर्दिष्ट किया था और क्या ऐसे लेखे एवं अभिलेख बनाए और उनका अनुरक्षण किया गया।

(vii) (क) क्या कंपनी अविवादित कानूनी बकाया जिसमें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, उपकर और कोई अन्य कानूनी बकाया उचित प्राधिकारियों को जमा कराने में नियमित है और यदि नहीं तो कानूनी बकाया के एरियर की राशि संबंधित वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस के अनुसार उनके अदा करने की तिथि से छह महीनों से अधिक के लिए दर्शाया जाए।

(ख) क्या आयकर, विक्रीकर या सेवाकर या सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क या मूल्यवर्धित कर किसी विवाद के कारण जमा नहीं कराए गए हैं तो निहित राशि और फोरम जहां विवाद लंबित है उसका वर्णन किया जाएगा (संबंधित विभाग को केवल अभ्यावेदन देने को विवाद नहीं माना जाएगा।

(viii) क्या कंपनी ने वित्तीय संस्था, बैंक, सरकार या डिबेंचरधारी को देय के ऋणों अथवा उधारी की पुनः प्रतिसंदाय में चूक की है? यदि हां तो चूक की अवधि एवं राशि सूचित की जाए (बैंको, वित्तीय संस्थाओं और सरकार को चूक के मामलों में ऋण अनुसार विवरण दें)।

(ix) क्या धनराशि जो प्रारंभ में सार्वजनिक प्रस्थापना अथवा आगे सार्वजनिक प्रस्थापना (जिसमें ऋण लिखत भी शामिल है) और अवधि ऋण का प्रयोग उन उद्देश्यों के लिए किया गया जिसके लिए वे उगाहे गए थे। यदि नहीं तो विवरण मद विलंब अथवा चूक और तत्पश्चात्पूर्ति परिशोधन, यदि कोई हो जो लागू किया जा सके, सूचित करें।

(x) क्या कोई कपट कंपनी द्वारा या इसके अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कंपनी से कोई कपट की जानकारी या सूचना वर्ष के दौरान आई है, यदि हां, तो उसकी प्रकृति एवं निहित रकम को दर्शाया जाना चाहिए।

(xi) क्या धारा 197 पठित अनुसूची 5 कंपनी अधिनियम द्वारा अधिदेशित अपेक्षित अनुमोदनों के अनुसार कोई प्रबंधकीय पारिश्रमिक अदा अथवा प्रदान किया गया है, यदि नहीं, निहित राशि का विवरण तथा उसकी वापसी निश्चित करने हेतु कंपनी द्वारा उठाए गए कदम का विवरण दें।

(xii) क्या निधि कंपनी ने निवल धारित निधि और जमाओं का अनुपात 1:20 में रखने का अनुपालन किया है जिससे दायित्व पूरा किया जाए और क्या निधि कंपनी दस प्रतिशत भारमुक्त निधि नियम, 2014 में यथाविनिर्दिष्ट आवधिक जमा रख रही है जिससे दायित्व को पूरा किया जा सके।

(xiii) क्या सभी संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और धारा 188 जहां लागू है, के अनुसार अनुपालन हो रहा है और लागू लेखा मानकों जहां आवश्यक हो का प्रकरित वित्तीय विवरण में कर दिया गया है जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विहित लेखा मानकों द्वारा संकलित है।

(xiv) क्या कंपनी ने शेयरों का कोई अधिमान आबंटन अथवा प्राइवेट स्थापन या पूर्णतः या भागत संप्रवर्तनीय डिबेंचरों समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किया है यदि ऐसा है तो क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 की अपेक्षा का अनुपालन किया गया और उगाही गई राशि का प्रयोग उन उद्देश्यों के लिए किया गया जिसके लिए वह उगाही गई थी। यदि नहीं तो अंतर्वलित राशि और गैर अनुपालन की प्रकृति का संकलन दें।

(xv) क्या कंपनी निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर धन संव्यवहार किया है यदि ऐसा है तो क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के उपाबंध का अनुपालन किया गया है।

(xvi) क्या कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक है और यदि ऐसा है तो क्या रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है।

#### 4. प्रतिकूल या सापेक्ष उत्तरों के लिए कारण दिया जाना. -

(1) जहां लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में पैरा 3 में निर्दिष्ट किसी भी प्रश्न का उत्तर प्रतिकूल या सापेक्ष है वहां लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ऐसा यथास्थिति प्रतिकूल या सापेक्ष उत्तर का आधार भी कथन देना होगा।

(2) जहां लेखापरीक्षक किसी विनिर्दिष्ट मामले पर राय व्यक्त करने में असमर्थ है वहां उसकी रिपोर्ट में ऐसे तथ्य के साथ वे कारण भी दर्शाने होंगे कि ऐसी राय दर्शित करना उसी के लिए संभव क्यों नहीं है।

[फा.सं. 17/45/2015-सीएल.V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS****ORDER**

New Delhi, the 29th March, 2016

**S.O. 1228(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013 ) and in supersession of the Companies (Auditor's Report) Order, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 990 (E), dated the 10th April, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consultation with the, committee constituted under proviso to sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013 hereby makes the following Order, namely:—

**1. Short title, application and commencement.**- (1) This Order may be called the Companies (Auditor's Report) Order, 2016.

(2) It shall apply to every company including a foreign company as defined in clause (42) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) [hereinafter referred to as the Companies Act], except—

(i) a banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949);

(ii) an insurance company as defined under the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);

(iii) a company licensed to operate under section 8 of the Companies Act;

(iv) a One Person Company as defined under clause (62) of section 2 of the Companies Act and a small company as defined under clause (85) of section 2 of the Companies Act; and

(v) a private limited company, not being a subsidiary or holding company of a public company, having a paid up capital and reserves and surplus not more than rupees one crore as on the balance sheet date and which does not have total borrowings exceeding rupees one crore from any bank or financial institution at any point of time during the financial year and which does not have a total revenue as disclosed in Scheduled III to the Companies Act, 2013 (including revenue from discontinuing operations) exceeding rupees ten crore during the financial year as per the financial statements.

**2. Auditor's report to contain matters specified in paragraphs 3 and 4.** - Every report made by the auditor under section 143 of the Companies Act, 2013 on the accounts of every company audited by him, to which this Order applies, for the financial years commencing on or after 1st April, 2015, shall in addition, contain the matters specified in paragraphs 3 and 4, as may be applicable:

Provided the Order shall not apply to the auditor's report on consolidated financial statements.

**3. Matters to be included in the auditor's report.** - The auditor's report on the accounts of a company to which this Order applies shall include a statement on the following matters, namely:-

(i) (a) whether the company is maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets;

(b) whether these fixed assets have been physically verified by the management at reasonable intervals; whether any material discrepancies were noticed on such verification and if so, whether the same have been properly dealt with in the books of account;

(c) whether the title deeds of immovable properties are held in the name of the company. If not, provide the details thereof;

(ii) whether physical verification of inventory has been conducted at reasonable intervals by the management and whether any material discrepancies were noticed and if so, whether they have been properly dealt with in the books of account;

(iii) whether the company has granted any loans, secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013. If so,

(a) whether the terms and conditions of the grant of such loans are not prejudicial to the company's interest;

(b) whether the schedule of repayment of principal and payment of interest has been stipulated and whether the repayments or receipts are regular;

(c) if the amount is overdue, state the total amount overdue for more than ninety days, and whether reasonable steps have been taken by the company for recovery of the principal and interest;

(iv) in respect of loans, investments, guarantees, and security whether provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 have been complied with. If not, provide the details thereof.

(v) in case, the company has accepted deposits, whether the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the rules framed thereunder, where applicable, have been complied with? If not, the nature of such contraventions be stated; If an order has been passed by Company Law Board or National Company Law Tribunal or Reserve Bank of India or any court or any other tribunal, whether the same has been complied with or not?

(vi) whether maintenance of cost records has been specified by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013 and whether such accounts and records have been so made and maintained.

(vii) (a) whether the company is regular in depositing undisputed statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues to the appropriate authorities and if not, the extent of the arrears of outstanding statutory dues as on the last day of the financial year concerned for a period of more than six months from the date they became payable, shall be indicated;

(b) where dues of income tax or sales tax or service tax or duty of customs or duty of excise or value added tax have not been deposited on account of any dispute, then the amounts involved and the forum where dispute is pending shall be mentioned. (A mere representation to the concerned Department shall not be treated as a dispute).

(viii) whether the company has defaulted in repayment of loans or borrowing to a financial institution, bank, Government or dues to debenture holders? If yes, the period and the amount of default to be reported (in case of defaults to banks, financial institutions, and Government, lender wise details to be provided).

(ix) whether moneys raised by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) and term loans were applied for the purposes for which those are raised. If not, the details together with delays or default and subsequent rectification, if any, as may be applicable, be reported;

(x) whether any fraud by the company or any fraud on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year; If yes, the nature and the amount involved is to be indicated;

(xi) whether managerial remuneration has been paid or provided in accordance with the requisite approvals mandated by the provisions of section 197 read with Schedule V to the Companies Act? If not, state the amount involved and steps taken by the company for securing refund of the same;

(xii) whether the Nidhi Company has complied with the Net Owned Funds to Deposits in the ratio of 1: 20 to meet out the liability and whether the Nidhi Company is maintaining ten per cent unencumbered term deposits as specified in the Nidhi Rules, 2014 to meet out the liability;

(xiii) whether all transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of Companies Act, 2013 where applicable and the details have been disclosed in the Financial Statements etc., as required by the applicable accounting standards;

(xiv) whether the company has made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review and if so, as to whether the requirement of section 42 of the Companies Act, 2013 have been complied with and the amount raised have been used for the purposes for which the funds were raised. If not, provide the details in respect of the amount involved and nature of non-compliance;

(xv) whether the company has entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him and if so, whether the provisions of section 192 of Companies Act, 2013 have been complied with;

(xvi) whether the company is required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 and if so, whether the registration has been obtained.

**4. Reasons to be stated for unfavourable or qualified answers.-** (1) Where, in the auditor's report, the answer to any of the questions referred to in paragraph 3 is unfavourable or qualified, the auditor's report shall also state the basis for such unfavourable or qualified answer, as the case may be.

(2) Where the auditor is unable to express any opinion on any specified matter, his report shall indicate such fact together with the reasons as to why it is not possible for him to give his opinion on the same.

[F. No. 17/45/2015-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.